भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 4811

31 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए

सेंट्रल विस्टा परियोजना

4811. श्री मनीश तिवारी:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने सेंट्रल विस्टा के चारों और लूप कॉरीडोर बनाने हेतु दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इससे सेंट्रल विस्टा परियोजना के लिए लागत में और वृद्धि होने की संभावना है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रिपोर्टों के अनुसार, सेंट्रल विस्टा परियोजना निर्माण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के धूल नियंत्रण नियमों का उल्लंघन कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सर्वोच्च न्यायालय ने 9 मार्च, 2022 को सरकार से इस तथ्य पर जवाब मांगा है कि उच्चतम न्यायालय का बुनियादी ढांचा 1950 के दशक से स्थिर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका के लिए अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के बारे में बार-बार शिकायत की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) न्यायिक परिसरों के बुनियादी ढांचे के उन्नयन हेतु निर्धारित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

<u>आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री</u>

<u>(श्री कौशल किशोर)</u>

(क) और (ख): जी हां, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने सेंट्रल विस्टा में लूप कॉरिडोर के लिए 28.02.2022 को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है। डीएमआरसी सेंट्रल विस्टा, नई दिल्ली के पुनर्विकास में भूमिगत मेट्रो प्रणाली कार्यों की योजना और निष्पादन के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें सीपीडब्ल्यूडी के लिए और उसकी ओर से प्लेटफॉर्म के सिविल फिनिशिंग कार्य (मूलभूत सिविल संरचना को छोड़कर) शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप सेंट्रल विस्टा परियोजना की

अपेक्षित लागत में वृद्धि नहीं होगी क्योंकि मेट्रो कनेक्टिविटी सेंट्रल विस्टा के विकास/पुनर्विकास के लिए समग्र मास्टर प्लान का एक हिस्सा है।

(ग): सेंट्रल विस्टा के विकास/पुनर्विकास से संबंधित कार्यों में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी लागू मानदंडों का पालन किया जा रहा है।

(घ): ऐसी कोई सूचना दिनांक 09.03.2022 को प्राप्त नहीं हुई है।

(ड): न्याय विभाग को न्यायालयों के लिए पर्याप्त अवसंरचना ढांचे की व्यवस्था के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण (एनजेआईएआई) की स्थापना के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार मुख्य-संरक्षक के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित एक शासी निकाय होगा। प्रस्ताव की अन्य मुख्य विशेषताएं हैं कि एनजेआईएआई सभी उच्च न्यायालयों के तहत समान संरचनाओं के अलावा, भारतीय न्यायालय प्रणाली के लिए कार्यात्मक अवसंरचना ढांचे के नियोजन, निर्माण, विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए योजना तैयार करने में एक केंद्रीय निकाय के रूप में कार्य करेगा।

(च): न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि, राज्य सरकारों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए, केंद्र सरकार केवल राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को निर्धारित निधि शेयरिंग पैटर्न में वित्तीय सहायता प्रदान करके, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित एक योजना लागू कर रही है । वर्तमान में, योजना का निधि शेयरिंग पैटर्न 8 पूर्वोत्तर और 2 हिमालयी राज्यों (उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश) के लिए 90:10 (केंद्र: राज्य) और शेष राज्यों के लिए 60:40 है। यह योजना सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को कवर नहीं करती है। 1993-94 में योजना की शुरुआत के बाद से, केंद्र सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को योजना के तहत कुल 8758.70 करोड़ की राशि जारी की है, जिसमें से 5314.39 करोड़ 2014-15 के बाद जारी किए गए हैं, जो योजना के तहत कुल जारी की गई धनराशि का लगभग 60.68% है। ।